

10-12-19

प्राथी के वकील उपस्थित। पेशेकार  
सरकार उपस्थित। चूंकि मूल अपील  
आज निर्णित हो चुकी है। ऐसी स्थिति  
में, यह स्थगन प्रार्थना पत्र अर्थात् आवहिन  
होने से इसी स्तर पर खारिज किया  
जाता है। निर्णय सुनाया गया। परावली  
फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

